न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 16/2024

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. वालाराम पुत्र मंगलाराम
2. मलाराम पुत्र मंगलाराम
3. प्रहलादराम पुत्र मंगलाराम
4. अन्नाराम पुत्र धनाराम
5. बुधाराम पुत्र धनाराम
6. गटुदेवी पत्नि धनाराम
7. मिसराराम पुत्र हरजीराम
8. मावाराम पुत्र हरजीराम जाति कुम्हार निवासीयान लोहिड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. भोपाराम पुत्र कोहलाराम
2. बुधाराम पुत्र कोहलाराम
3. गडूकाराम पुत्र कोहलाराम
4. गोरखाराम पुत्र कोहलाराम
5. उमाराम पुत्र कोहलाराम
6. नरसिंगाराम पुत्र सांवलाराम
7. मंगलाराम पुत्र चमनाराम
8. प्रहलादराम पुत्र चमनाराम
9. पुराराम पुत्र कुम्भाराम
10. बगदाराम पुत्र सुरताराम
11. पोकराराम पुत्र सुरताराम
12. धूंकाराम पुत्र सुरताराम
13. जीताराम पुत्र सुरताराम
14. करताराम पुत्र सुरताराम
15. गेबाराम पुत्र मोमताराम
16. विरधाराम पुत्र मोमताराम
17. शंकराराम पुत्र मोमताराम
18. जैसाराम पुत्र मोमताराम
19. वेलाराम पुत्र भीखाराम
20. खेताराम पुत्र जेठाराम
21. खूबाराम पुत्र जेठाराम
22. लुंबाराम पुत्र जेठाराम
23. जोगाराम पुत्र सवाराम
24. जोराराम पुत्र सवाराम
25. वरधाराम पुत्र सवाराम
26. गडूकाराम पुत्र मिसराराम
27. सबुदेवी पत्नि मिसराराम
28. जोगाराम पुत्र पुनमाराम
29. जोधाराम पुत्र मालाराम
30. गोरधनराम पुत्र मालाराम
31. ओमाराम पुत्र मालाराम
32. हीराराम पुत्र मालाराम
33. उकीदेवी पत्नि मालाराम
34. जैसाराम पुत्र सोनाराम
35. भभूताराम पुत्र सोनाराम
36. लिखमाराम पुत्र सोनाराम
37. रघुनाथ पुत्र भीमाराम
38. लूम्बाराम पुत्र भीमाराम
39. वींजाराम पुत्र अचलाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

40. बगदाराम पुत्र अचलाराम
41. गोपाराम पुत्र गोमताराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान लोहिड़ी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
42. उदयसिंह पुत्र हड़वन्तसिंह
43. ओमसिंह पुत्र हड़वन्तसिंह
44. गजेसिंह पुत्र हड़वन्तसिंह
45. रसालकंवर पत्नि भीखसिंह
46. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह
47. वनेसिंह पुत्र जबरसिंह
48. एवनकंवर पत्नि जबरसिंह
49. तगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
50. जोरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
51. बलवन्तसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
52. शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
53. भैरुसिंह पुत्र पूंजराजसिंह
54. भवानीसिंह पुत्र डूंगरसिंह
55. मनोहरसिंह पुत्र डूंगरसिंह
56. लाखूसिंह पुत्र डूंगरसिंह
57. सरेकवंर पत्नि डूंगरसिंह
58. उदयसिंह पुत्र हड़वतसिंह
59. आम्बसिंह पुत्र हड़वतसिंह
60. गजेसिंह पुत्र हड़वतसिंह
61. हरिसिंह पुत्र दीपसिंह
62. धूड़सिंह पुत्र भूरसिंह
63. कुम्पसिंह पुत्र भूरसिंह
64. गुलाबसिंह पुत्र भूरसिंह
65. कल्याणसिंह पुत्र दीपसिंह
66. तनेराजसिंह पुत्र ओमसिंह जातियान राजपूत निवासीयान लोहिड़ी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
67. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनिवाल , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 11.06.2024

उपखण्ड अधिकारी

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा लोहिड़ी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 765, 757, 758, 792 रकबा कमशः 0.5016, 0.0647, 3.9479, 13.4294 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा लोहिड़ी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 765, 757, 758, 792 रकबा कमशः 0.5016, 0.0647, 3.9479, 13.4294 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा लोहिड़ी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 765, 757, 758, 792 रकबा कमशः 0.5016, 0.0647, 3.9479, 13.4294 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा लोहिड़ी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 765, 757, 758, 792 रकबा कमशः 0.5016, 0.0647, 3.9479, 13.4294 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा लोहिड़ी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 765, 757, 758, 792 रकबा कमशः 0.5016, 0.0647, 3.9479, 13.4294 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के

हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लोहिड़ी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 765, 757, 758, 792 रकबा क्रमशः 0.5016, 0.0647, 3.9479, 13.4294 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी